

# न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाडा

प्रकरण संख्या 29/2017 खाद्य सुरक्षा

उनवान प्रकरण

सरकार जरिये संजय सिंह खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाडा

बनाम श्री बालूराम सोनी पुत्र सत्यनारायण सोनी विक्रेता/मालिक, मैसर्स - अमरनाथ ट्रेडिंग कम्पनी, एम.पी.एण्ड सन्स मार्केट, बाजार नं. 2 भीलवाडा, स्थाई पता - बस स्टैण्ड, बागौर तह. माण्डल भीलवाडा

- प्रार्थी

—विपक्षी

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) एवं दण्डनीय धारा 51 व 52

उपस्थित-

- 1 प्रार्थी की ओर से विभागीय परोकार उपस्थित
- 2 विपक्षी स्वयं उपस्थित

आदेश

दिनांक 26.07.2018

शासन उप सचिव कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना कमांक प-1(2)कार्मिक/क-4/08 दिनांक 05.04.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उप धारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जिलों में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्य क्षेत्र के लिये न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा ने विपक्षी के विरुद्ध एक प्रकरण इस आशय का प्रस्तुत किया है, कि विपक्षी श्री बालूराम सोनी पुत्र सत्यनारायण सोनी विक्रेता/मालिक, मैसर्स - अमरनाथ ट्रेडिंग कम्पनी, एम.पी.एण्ड सन्स मार्केट, बाजार नं. 2 भीलवाडा का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को उपयोग हेतु जीरा, अजवाइन, सौंप आदि का विक्रय कर रहा था। बालूराम सोनी पुत्र सत्यनारायण सोनी विक्रेता/मालिक, मैसर्स - अमरनाथ ट्रेडिंग कम्पनी, एम.पी.एण्ड सन्स मार्केट, बाजार नं. 2 भीलवाडा का विक्रेता एवं गवाह की उपस्थिति में निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय बाबत जीरा ब्राण्ड तिरुपति गोल्ड के 1-1 किलो के 50 पैकेट रखे हुए थे।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 28.07.2016 को बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी दौराने चैकिंग हेतु मैसर्स - अमरनाथ ट्रेडिंग कम्पनी, एम.पी.एण्ड सन्स मार्केट, बाजार नं. 2 भीलवाडा पर पहुंचा। मैंने विक्रेता को परिचय दिया परिचय पत्र दिखाया एवं विक्रेता का परिचय लिया। मौके पर विक्रेता से खाद्य लाईसेंस की प्रति मांगी गयी। मौके पर विक्रेता ने खाद्य लाईसेंस नहीं बना हुआ बताया। विक्रेता द्वारा

शीघ्र आवेदन कर लाईसेंस पेश करने का निवेदन किया गया। मौके पर विक्रेता एवं गवाह की उपस्थिति में निरीक्षण करने पर पाया कि जीरा ब्राण्ड तिरुपति गोल्ड के 1-1 किलो के 50 पैकेट रखे हुए थे। एक पैकेट को ध्यान से देखने पर Jeera, Brand-Tirupati Gold, Lot No.- Not Mention, Pkd. Not Mention, Net. Wt.- 1 Kg., BEST BEFORE 6 MONTHS FROM THE PACKAGING, Vege. Symbole - Present, Mfg. & Pks By-Balaji Trading Company इत्यादि अंकित था। जीरा ब्राण्ड तिरुपति गोल्ड में मिलावट व मिसब्राण्ड का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत खाद्य नमूना वास्ते जाँच हेतु लेने की सूचना खाद्य कारोबारकर्ता को फार्म V-A में दी एवं रसीद प्राप्त की। न्याय निर्णयन आवेदन पेश करने हेतु प्राधिकृत करने हेतु स्वीकृति प्राप्त कर प्रार्थी द्वारा न्याय निर्णयन आवेदन प्रस्तुत किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने आवेदन पत्र के साथ न्याय निर्णयन आवेदन, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य क्षेत्र नोटिफिकेशन की प्रति, पदस्थापन आदेश की प्रति, फार्म 5 ए की प्रति, रसीद नमूना खरीद मूलप्रति, मौका फर्द प्रति, फर्म के खाद्य लाईसेंस की प्रति खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर को वास्ते जाँच जमा करवाने के प्रेषित पत्र एवं नमूना जमा होने की प्राप्ति रसीदे, फॉर्म-6 मेमोरेण्डम, खाद्य विश्लेषक अजमेर द्वारा प्राप्त नमूना जाँच रिपोर्ट मय कार्यालय पत्र, अभिहित अधिकारी को पत्रावली पेश करने तथा आवेदन फाईल करने बाबत लिखे गये पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई।

मौके पर गवाह एवं विक्रेता की उपस्थिति में 1-1 किलो जीरा ब्राण्ड तिरुपति गोल्ड खाद्य कारोबारकर्ता से नमूना वास्ते जाँच हेतु एफएसएसए एक्ट 2006 के तहत खरीदे एवं इस बाबत 640/- रूपये अक्षरे छः सौ चालीस रूपये देकर रसीद प्राप्त की।

इन खरीदशुदा नमूना भागों के लिए चार लेबल नियमानुसार भरकर उन पर श्रीमान् अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) के कोड एवं क्रमांक एक्स-159 दर्ज कर विक्रेता, गवाहन के हस्ताक्षर करवाकर व मैंने स्वयं ने हस्ताक्षर कर प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाये। प्रत्येक नमूना भाग को अलग-अलग मोटे खाकी कागज में लपेट कर एवं किनारों को सफाई से मोड़कर गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग पर पेपर स्लिप कोड एवं सीरीयल नं. एक्स-159 जो श्रीमान् अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा डॉ.जगदीश चन्द्र जीनगर द्वारा हस्ताक्षरित थी, जो कि मेरे पास उपलब्ध थी, को चारों नमूना भागों पर सिर से लेकर पेंदे तक एवं पेंदे से सिर तक लगातार नियमानुसार गोंद से चिपकाकर मोटे मजबूत धागे से बांधकर नियमानुसार 4-4 जगह उपर नीचे एवं दोनों साइडों पर सील चपड़ी किया नमूना भागों पर नमूने का विवरण अंकित कर मैंने व गवाहों ने हस्ताक्षर किये। प्रत्येक सील्ड नमूना भागों पर विक्रेता/मैनेजर श्री बालूराम सोनी पुत्र सत्यनारायण सोनी विक्रेता/मालिक, मैसर्स - अमरनाथ ट्रेडिंग कम्पनी, एम.पी.एण्ड सन्स मार्केट, बाजार नं. 2 भीलवाडा के हस्ताक्षर इस तरह करवाये कि आधे हस्ताक्षर पेपर स्लीप पर व आधे खाकी कागज पर आ गये। चारों सील्ड नमूना भागों को अपने कब्जे में लिया। मौका फर्द तैयार कर पढकर, पढाकर, समझाकर, होशोहवास में हस्ताक्षर करने को कहा गया जिसे सभी ने सत्य मानकर हस्ताक्षर किये। सभी कार्यवाही गवाहों व विक्रेता के सामने पूर्ण की गई। जिस सील से नमूना भागों को सील चपड़ी किया था

उसका मोनोग्राम मौके पर फर्द पर अंकित किया गया साथ ही मेरे द्वारा मौके पर गवाह की उपस्थिति में विक्रेता को लिए गये नमूने के IV Part की जाँच एक्रीकेटेड लेब में करवाने की सूचना भी दे दी गई थी।

खाद्य नमूना सं. एक्स 159 के एक सीलबन्द भाग को फार्म नं. 6 की एक प्रति के साथ जिस पर वहीं सील नमूना अंकित था जो मैंने नमूना लेते समय काम में ली थी। एक आउटर कवर में बंद कर, नमूने का विवरण एवं खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला का नाम व पता लिखकर श्री बाबूलाल पायक, च.श्रे.क. कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा द्वारा खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, अजमेर एवं फार्म नं. 06 की दो प्रतियां एक लिफाफे में बंद कर भिजवाई गई।

खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर से प्राप्त जाँच रिपोर्ट सं. L.S./452/Act/2016/502 दिनांक 11.08.2016 के अनुसार विक्रेता से वास्ते जाँच हेतु लिया गया, खाद्य नमूना सं. एक्स-159 जीरा (ब्राण्ड-तिरुपाति गोल्ड) सबस्टैण्डर्ड (Substandard) व मिसब्राण्डेड (Misbranded) होना पाया गया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा न्याय निर्णयन आवेदन पेश करने हेतु प्राधिकृत करने बाबत अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा को में पेश किया। जिस पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा द्वारा प्रार्थी को अधिकृत किया और आदेश दिया कि इस प्रकरण से सम्बन्धित मूल कागजात एवं सम्बन्धित कारोबारकर्ता को नियम 2.4.6(1) के तहत प्रस्तुत रजिस्टर्ड पत्र एवं रजिस्टर्ड डाक की पोस्टल रसीद भी मूल प्रति सहित न्याय निर्णयन आवेदन के साथ प्रस्तुत कर अंकित किया है कि विपक्षी श्री बालूराम सोनी पुत्र सत्यनारायण सोनी विक्रेता/मालिक, मैसर्स - अमरनाथ ट्रेडिंग कम्पनी, एम.पी.एण्ड सन्स मार्केट, बाजार नं. 2 भीलवाडा द्वारा सब स्टैण्डर्ड एवं मिसब्राण्डेड जीरा (ब्राण्ड- तिरुपाति गोल्ड) का विक्रय कर एफएसएस की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 51 एवं 52 में निर्धारित है। खाद्य नमूना निर्धारित मानक कोटि का नही होने के कारण इस पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा के पत्र द्वारा प्रार्थी को न्याय निर्णयन अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया। इस आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने इस न्यायालय में 26.04.2017 को प्रकरण प्रस्तुत किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी से प्रकरण प्राप्त होने पर दिनांक 01.05.2017 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को विधिवत नोटिस जारी कर अपना पक्ष दिनांक 14.06.2017 को कार्यालय हाजा में स्वयं या उनके प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु पाबन्द किया गया। मामले में विभागीय पैरोकार उपस्थित। विपक्षी बावजूद सूचना के उपस्थित नही है। विपक्षी के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये जाते हैं।

विभागीय पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि विपक्षी का खाद्य नमूना सबस्टैण्डर्ड एवं मिसब्राण्डेड होना पाया गया है। प्राप्त जाँच रिपोर्ट के अनुसार पाया गया कि लिये गये खाद्य नमूने पर Batch No. - Not given, Date of Mfg./Pkg. - Not given, Name and address of Mfr / Pkr. - Balaji Trading Company. **Complete address not given.** पाया गया है। लिये गये खाद्य नमूने एक्स-159 में Extraneous matter, by weight

8.77 प्रतिशत पाया गया, जबकि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अंतर्गत यह मात्रा 3.0 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिये थी। विक्रेता फर्म ने Food Safety and Standardized (Packaging & Labelling) Regulation, 2011 a के रूल्स 2.2.2(6), 2.2.2(8) and 2.2.2(9) का उल्लंघन किया है एवं सब स्टैण्डर्ड जीरा (ब्राण्ड— तिरूपति गोल्ड) का विक्रय कर एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है। इसलिए लिया गया नमूना सबस्टैण्डर्ड एवं मिसब्राण्डेड होना पाया गया एवं विपक्षी द्वारा सब स्टैण्डर्ड एवं मिसब्राण्डेड जीरा (ब्राण्ड— तिरूपति गोल्ड) का विक्रय कर एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 51 एवं 52 में निर्धारित है। प्रार्थी की ओर से न्याय निर्णयन आवेदन पत्र विपक्षी के विरुद्ध जुर्माना आरोपित करते हुये आवेदन पत्र का निर्णय कराने की प्रार्थना की है। खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर से प्राप्त जाँच रिपोर्ट को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाड़ा द्वारा नमूना लिये जाने वाली फर्म को रजिस्टर्ड पत्र मय जाँच रिपोर्ट प्रेषित करते हुये पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के समय देते हुये नोटिस दिया गया, किन्तु नमूना लिये जाने वाली फर्म द्वारा जाँच रिपोर्ट के खण्डन में किसी भी प्रकार की अपील हेतु आवेदन नहीं किया गया जिससे प्रतीत होता है कि विपक्षी जाँच रिपोर्ट से संतुष्ट है।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर से प्राप्त जाँच रिपोर्ट सं. L.S./452/Act/2016/502 दिनांक 11.08.2016 के अनुसार विक्रेता से वास्ते जाँच हेतु लिया गया, खाद्य नमूना सं. एक्स-159 जीरा (ब्राण्ड— तिरूपति गोल्ड) सबस्टैण्डर्ड व मिसब्राण्डेड (Misbranded) होना पाया गया। प्राप्त जाँच रिपोर्ट के अनुसार पाया गया कि लिये गये खाद्य नमूने पर Batch No. – Not given , Date of Mfg./Pkg. – Not given, Name and address of Mfr / Pkr. – Balaji Trading Company. Complete address not given. पाया गया है। लिये गये खाद्य नमूने एक्स-159 में Extraneous matter, by weight 8.77 प्रतिशत पाया गया, जबकि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अंतर्गत यह मात्रा 3.0 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिये थी। विक्रेता फर्म ने Food Safety and Standardized (Packaging & Labelling) Regulation, 2011 a के रूल्स 2.2.2(6), 2.2.2(8) and 2.2.2(9) का उल्लंघन किया है एवं सब स्टैण्डर्ड जीरा (ब्राण्ड— तिरूपति गोल्ड) का विक्रय कर एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है। इसलिए लिया गया नमूना सबस्टैण्डर्ड एवं मिसब्राण्डेड होना पाया गया एवं विपक्षी द्वारा सब स्टैण्डर्ड एवं मिसब्राण्डेड जीरा (ब्राण्ड— तिरूपति गोल्ड) का विक्रय कर एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 51 एवं 52 में निर्धारित है।

उपरोक्त प्रावधान को मध्यनजर रखते हुये विपक्षी को अर्थदण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः न्याय सिद्धान्त को दृष्टिगत रखते हुये खाद्य मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का विपक्षी द्वारा उल्लंघन करने एवं अपराध कारित होने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 51 एवं 52 के

अन्तर्गत विपक्षी पर 15,000/-रूपये (अक्षरे पन्द्रह हजार रूपये) शास्ति आरोपित की जाती है। विपक्षी उपरोक्त शास्ति निर्णय दिनांक से 03 माह के अन्दर शास्ति राशि कैशियर जिला कलक्टर कार्यालय भीलवाडा में जमा करा कर रसीद प्राप्त करें।

निर्णय आज दिनांक 26.07.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



26/7/18  
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट भीलवाडा  
(खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006)  
भीलवाडा (राज.)

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

- 1 खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक(जनस्वास्थ्य)चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ राजस्थान जयपुर
- 2 अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा
- 3 कैशियर, जिला कलक्टर कार्यालय भीलवाडा
- 4 श्री बालूराम सोनी पुत्र सत्यनारायण सोनी विक्रेता/मालिक, मैसर्स - अमरनाथ ट्रेडिंग कम्पनी, एम.पी.एण्ड सन्स मार्केट, बाजार नं. 2 भीलवाडा, स्थाई पता - बस स्टैण्ड, बागौर तह. माण्डल भीलवाडा को भेजकर लेख हैं कि उक्त शास्ति राशि चालान द्वारा जमा करा , चालान कैशियर जिला कलक्टर कार्यालय भीलवाडा में प्रस्तुत करे ।

26/7/18  
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट भीलवाडा  
(खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006)  
भीलवाडा (राज.)